रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275902
CG-DL-E-01092026-275902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 2026/भाद्र 7, 1948
No. 696] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 2026/BHADRA 7, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 762(अ). जबकि, पत्तन पर संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन, रिपोर्टिंग और संक्रामक तथा सांसर्गिक रोगों का नियंत्रण नियम, 2026 का मसौदा, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2026 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 304 (अ), के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 अप्रैल, 2026 से जनता को लिए उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत विचार किया है।

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 76 की उप-धारा (1) और उप-धारा धारा (2) के खंड (छ) और धारा 78 की उप-धारा (1) एवं खण्ड (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संक्रमित क्षेत्र (पत्तन पर प्रबंधन, रिपोर्टिंग और संक्रामक तथा सांसर्गिक रोगों का नियंत्रण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—

(क) नियम 4 से 15 सभी महापत्तनों और महापत्तन की पत्तन सीमाओं के ऐसे भाग पर लागू होगा, जिन्हें अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अंतर्गत संक्रामक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) नियम 16 से 18, प्रत्येक पत्तन पर, जहां अधिनियम विस्तारित है और ऐसे पत्तन पर आगमन करनेवाले, वहां से प्रस्थान करने वाले अथवा वहाँ मौजूद प्रत्येक जलयान, पर लागू होते हैं;

3. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "संक्रामक या सांसर्गिक रोग" से रोगवाहक या माध्यम के अंत:क्षेप के बिना किसी मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे संचारित होने में सक्षम रोग अभिप्रेत है।

(घ) "संक्रमित क्षेत्र" से किसी पत्तन की सीमा के भीतर या उसके आस-पास के क्षेत्रों में कोई भी ऐसा क्षेत्र, स्थान या भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, महामारी आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम है जिसे अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के तहत संक्रामक घोषित किया गया अभिप्रेत है;

(ङ) "पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी", से अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "संदिग्ध मामला" से वे व्यक्ति, सामान, माल, कंटेनर, पोत या वाहन, वस्तु, डाक पार्सल जिन्हें पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के संपर्क में आने वाला या संभावित रूप से संपर्क में आने वाला माना जाता है और जो रोग के प्रसार का संभावित स्रोत हो सकते हैं, अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम और नियम में परिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या उक्त नियम में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय II

संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन

4. संक्रमित क्षेत्र में किए जाने वाले उपाय.— (1) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के खंड (ख) में संदर्भित उपायों में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:

(क) किसी संक्रमित क्षेत्र से, उसके भीतर या उसके माध्यम से संक्रामक या सांसर्गिक के प्रसार को रोकना, नियंत्रित करना या सीमित करना;

(ख) पत्तन संचालन, व्यापार और यात्रा में अनावश्यक बाधाओं को कम करते हुए नाविकों, कामगारों, यात्रियों और स्थानीय समुदाय के लिए एक सुरक्षित परिवेश बनाए रखना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उक्त उपाय —

(i) मूल्यांकित जन स्वास्थ्य जोखिम आधारित और ऐसे जोखिम के समानुपातिक हैं;

(ii) केवल ऐसी समयावधि तक लागू रहते हैं जैसा आवश्यक एवं आवधिक समीक्षा के अध्यधीन हैं;

(iii) जन स्वास्थ्य और समुद्री परिवहन से संबंधित लागू अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप हैं; और

(iv) व्यक्तियों की गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का उचित ध्यान रखते हुए कार्यान्वित किए गए हैं।

5. **तत्परता और संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन योजना.—** (1) प्रत्येक महापत्तन, अधिनियम के तहत संक्रमित क्षेत्र की घोषणा की स्थिति में इसके कार्यान्वयन हेतु एक पत्तन संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे बनाए रखेगा।

(2) पत्तन संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान होंगे:—

(क) संगठनात्मक संरचना एवं उत्तरदायी अधिकारियों के पदनाम;

(ख) संक्रमित क्षेत्रों के त्वरित सीमांकन एवं अंकन की प्रक्रियाएँ;

(ग) व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच, पृथक्करण, क्वारंटीन एवं चिकित्सा रेफरल हेतु प्रोटोकॉल;

(घ) पर्यावरण स्वच्छता, कीटाणुशोधन एवं रोग वाहक-नियंत्रण व्यवस्थाएँ;

(ङ) माल और संकटपूर्ण आपूर्तियों की सुरक्षित ढुलाई सहित आवश्यक पत्तन संचालन की निरंतरता;

(च) पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जिला या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों एवं अन्य एजेंसियों के साथ संचार, सूचना साझाकरण एवं एस्केलेशन तंत्र; और

(छ) प्रशिक्षण, अभ्यास एवं आवधिक समीक्षा।

(3) पत्तन संक्रमित क्षेत्र प्रबंधन योजना पत्तन स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से तैयार की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्देशित कम से कम दो साल में एक बार या उससे पहले इसकी समीक्षा की जाएगी।

6. **संक्रमित क्षेत्र की घोषणा और प्रकाशन—** (1) पत्तन के किसी भी बर्थ, टर्मिनल, लंगरगाह, गोदाम या अन्य क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र, अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन, प्राधिकारी की सलाह के आधार पर, घोषित किया जायेगा।

(2) संक्रमित क्षेत्र की प्रत्येक घोषणा निम्नानुसार होंगी-

(क) क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को निर्दिष्ट करना;

(ख) संक्रमण या खतरे की प्रकृति की पहचान करना;

(ग) समीक्षा के अध्यधीन प्रयोज्नीयता की अवधि बताना; और

(घ) पत्तन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना,

(3) प्राधिकरण, उप-नियम (2) में संदर्भित घोषणा की सूचना नाविकों, नौवहन लाइनों, टर्मिनल संचालकों, सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य एजेंसियों को देंगे।

(4) यदि संक्रमित क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग का कोई भी हिस्सा पत्तन की सीमाओं को अतिव्याप्ति करता है, तो नौवहन प्रबंधन और परामर्श जारी करने के लिए आईडब्ल्यूएआई को सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का संख्या 82) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(5) प्राधिकरण प्रत्येक सात दिनों में या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित अंतराल पर घोषणा की समीक्षा करेगा।

7. **प्रवेश, आवागमन और संचालन पर निर्बंधन—** (1) किसी भी जलयान, चालक दल, यात्री, पत्तन कामगार या आगंतुक को स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) संक्रमित क्षेत्र में स्थौरा प्रचालन, बर्थिंग, पायलटेज, बंकरिंग, प्रोविजनिंग या कोई भी अन्य पत्तन गतिविधि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुसार विनियमित, निर्बंधित या निलंबित की जाएगी।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित निर्देशित कर सकता है-

(क) जलयानों को निर्धारित क्वारंटाइन बर्थों पर ले जाना;

(ख) संक्रमित स्थौरा या दूषित सामग्री को अलग करना;

(ग) प्रभावित कामगारों या चालक दल को एकांत में रखना; और

(घ) पत्तन यातायात को वैकल्पिक टर्मिनलों की ओर मोड़ना।

(4) इस नियम के प्रावधान अंतर्देशीय जलयानों पर लागू होंगे और ऐसे जलयानों तक सीमित रहेंगे जो अधिसूचित पत्तन सीमाओं के भीतर स्थित हों या परिचालन कर रहे हों।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति “अंतर्देशीय जलयान” से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021(2021 का संख्या 24) की धारा 3 की उपधारा (थ) के अंतर्गत परिभाषित जलयान अभिप्रेत है;

8. स्वास्थ्य निगरानी और छानबीन— (1) संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रसार को रोकने के लिए, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संरक्षक और प्राधिकरण के समन्वय से संक्रमित क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

(2) संक्रमित क्षेत्र में आने वाले या प्रचालन करने वाले प्रत्येक पोत को निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी-

(क) समुद्री स्वास्थ्य घोषणापत्र;

(ख) चालक दल या यात्री स्वास्थ्य रिकॉर्ड; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अधीन आवश्यक कोई भी अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी सूचना।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ,अभिव्यक्ति “अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम” से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) अभिप्रेत है;

(3) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी चालक दल, यात्रियों और पत्तन कर्मचारियों के तापमान जांच, चिकित्सा परीक्षण, जांच और जोखिम मूल्यांकन कर सकता है।

(4) संक्रमण के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रोटोकॉल के अनुसार, अलगाव, एकांत या चिकित्सा निगरानी में रखा जाएगा।

9. स्वच्छता और कीटाणुशोधन— (1) प्राधिकरण मास्टर या टर्मिनल ऑपरेटर से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है-

(क) जलयान, माल, कंटेनर, उपकरण या परिसर का कीटाणुशोधन, धूमन या रोगवाहक नियंत्रण;

(ख) दूषित अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान; और

(ग) जल स्वच्छता, संतुलन जल की जाँच और वायु गुणवत्ता नियंत्रण।

(2) कीटाणुशोधन उपाय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।

10. स्थौरा और कंटेनरों पर प्रचालन नियंत्रण— (1) संक्रमित क्षेत्र से आने वाले, वहाँ से होकर गुजरने वाले, अथवा वहाँ उतारे गए स्थौरा की ऐसी अतिरिक्त जाँच, प्रशोधन या प्रमाणीकरण किया जाएगा, जैसा कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए।

(2) पत्तन से कोई भी दूषित स्थौरा या सामग्री बिना लिखित निकासी के छोडी नहीं जाएगी।

(3) संक्रमित क्षेत्र के भीतर उपयोग किए जाने वाले कंटेनर-हैंडलिंग उपकरणों का पुन: नियोजन करने से पहले अनिवार्य सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

11. श्रमिक सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपाय.— (1) प्राधिकरण, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी और संक्रमित क्षेत्र के भीतर कार्यरत नियोक्ताओं के साथ परामर्श करके, यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) ऐसे श्रमिक जिन्हें संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने की आवश्यकता है, उन्हें उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उनके सही उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए;

(ख) कार्य समय- सीमा और तैनाती इस प्रकार व्यवस्थित की जाए जिससे जोखिम कम हो सके, जिसमें जहाँ व्यावहारिक हो, ड्यूटी का चक्रानुक्रम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ओवरटाइम को न्यूनतम करना शामिल है; और

(ग) कोई भी श्रमिक, जो अस्वस्थ है, या जिसे संदिग्ध या पुष्ट मामले अथवा निकट संपर्क के रूप में पहचाना गया है, उसे तुरंत ड्यूटी से मुक्त किया जाए और चिकित्सा जांच के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

(2) नियोक्ता, स्वास्थ्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश के उल्लंघन में किसी भी श्रमिक को संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करना या रहना अपेक्षित नहीं करेंगे।

(3) टर्मिनल प्रचालक श्रमिक तैनाती, निजी सुरक्षा उपकरण के वितरण और एक्सपोजन रिकॉर्ड का लॉग बनाए रखेंगे।

(4) किसी भी श्रमिक को संक्रमण-नियंत्रण प्रक्रियाओं में पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना संक्रमित क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।

12. संचार, समन्वय और रिपोर्टिंग— (1) प्राधिकरण, सीमा शुल्क, इमिग्रेशन, तटरक्षक, पुलिस, शिपिंग एजेंट और स्वास्थ्य विभाग या ऐसी अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय और संचार की सुविधा के लिए एक एकीकृत इंसिडेंट कमांड संरचना स्थापित करेगा जैसा लोक स्वास्थ्य घटनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

(2) जलयानों के मास्टर जलयान पर बीमारी के लक्षण, संदूषण, या असामान्य मृत्यु की सूचना तत्काल देंगे।

(3) प्राधिकरण दैनिक तौर पर शिपिंग लाइनों और पत्तन उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितधारकों को संक्रमित क्षेत्र की स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

(4) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वेक्षण डेटा को पत्तन अधिकारियों तथा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के साथ साझा करने पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।

13. जारी निर्देशों का अनुपालन.— (1) प्रत्येक मास्टर, जलयान एजेंट, टर्मिनल प्रचालक और पत्तन उपयोगकर्ता इन नियमों के तहत जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे और ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता से प्रचालन का निलंबन, बर्थिंग प्राथमिकता से इनकार, या कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है जिसे प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए।

14. संक्रमित क्षेत्र की घोषणा और प्रकाशन— (1) प्राधिकरण, स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह पर, यह पुष्टि करने के पश्चात किसी संक्रमित क्षेत्र को संक्रमण से मुक्त घोषित कर सकता है-

(क) अब कोई सक्रिय खतरा नहीं है;

(ख) सभी जलयानों, उपकरणों और परिसरों को सैनिटाइज कर दिया गया है;

(ग) निगरानी संकेतक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं;

(2) प्राधिकरण, उप-नियम (1) में संदर्भित घोषणा की सूचना, नाविकों, शिपिंग लाइनों, टर्मिनल प्रचालकों, सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य एजेंसी को संप्रेषित करेगा।

15. आकस्मिक प्रोटोकॉल जारी करने की शक्ति— प्राधिकरण, संक्रमित क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों से संगत आकस्मिक प्रोटोकॉल जारी कर सकता है।

अध्याय III

संरक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और इस संबंध में जारी किए जाने वाले निर्देश

16. संक्रामक अथवा सांसर्गिक रोग की रिपोर्ट करना.— (1) जब भी किसी पत्तन पर आने वाले या वहां स्थित किसी जलयान पर कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग का प्रकोप हो, या प्रकोप की समुचित आशंका हो, ऐसे संक्रामक या सांसर्गिक रोग की सूचना, निम्नलिखित के द्वारा, सरकार अथवा संरक्षक को दी जाएगी-

(क) मास्टर द्वारा, जिसमें ऐसे रोग का विवरण अंतर्विष्ट किया गया हो; या

(ख) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी; या

(ग) कोई अन्य विश्वसनीय स्रोत।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रकोप की समुचित आशंका" में ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ—

(i) जलयान पर एक या अधिक संदिग्ध मामले मौजूद हों; या

(ii) पिछले पत्तन पर या यात्रा के दौरान कोई पुष्ट मामला या प्रकोप की जानकारी हुई है।

(2) उप-नियम (1) के तहत ऐसी जानकारी की रिपोर्ट करने का कर्तव्य तब उत्पन्न होगा जब —

(क) जलयान पर किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के किसी मामले या संदिग्ध मामले की पहचान हो;

(ख) जलयान पर यात्रा के दौरान या पत्तन पर रहते हुए अज्ञात कारणों से या संदिग्ध संक्रामक रोग से कोई मृत्यु हुई हो; या

(ग) जलयान पर रोग के बहुत से मामले हों जिनसे किसी प्रकोप की आशंका हो।

(3) उप-नियम (1) के तहत रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी, चाहे जलयान—

(क) लंगर पर हो;

(ख) यात्रा में हो;

(ग) घाट पर लगा हो; या

(घ) स्थौरा, बंकरिंग, या यात्री प्रचालन में शामिल हो।

(4) उप-नियम (1) के तहत पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी प्राप्त जानकारी के संबंध में संरक्षक को एक रिपोर्ट या परामर्श देगा।

(5) जहां सरकार को उप-नियम (1) में संदर्भित जानकारी प्राप्त होती है, इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए ऐसी जानकारी संरक्षक को संप्रेषित की जाएगी।

17. प्रतिक्रिया के स्तर.— संरक्षक, प्रचालन प्रयोजनों के लिए, स्थितियों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत कर सकता है, अर्थात:–

(क) स्तर 1 या बेहतर सतर्कता श्रेणी के रूप में आगे संक्रमण फैलने के कम जोखिम वाले पृथक संदिग्ध मामले;

(ख) स्तर 2 श्रेणी या निरोध श्रेणी के रूप में किसी एक जलयान पर प्रसार की संभावना वाले एक या अधिक पुष्ट मामले, अथवा संदिग्ध मामलों का समूह;

(ग) स्तर 3 श्रेणी या तीव्र प्रतिक्रिया श्रेणी के रूप में अन्य जलयानों, पत्तन श्रमिकों या समुदाय में प्रसार की आशंका वाले कई मामले या उच्च संक्रामक रोग, जिनमें अंतरराष्ट्रीय चिंता के घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संदर्भ में रोग भी शामिल है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' से एक असाधारण घटना अभिप्रेत है जिससे –

(i) रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से देश और अन्य देशों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होगा; और

(ii) समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी।

18. संरक्षक के अधिकार और दायित्व.— (1) संरक्षक, पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी भी जलयान, संरचना या परिसर के मास्टर, मालिक, एजेंट, या प्रभारी व्यक्ति को लिखित या मौखिक (बाद में लिखित पुष्टि के साथ) निर्देश जारी कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:

(क) जलयानों को:

(i) एंकरेज या बर्थ बदलने के लिए;

(ii) निर्दिष्ट स्थानों पर एंकर उठाने, आगे बढ़ाने, टो करने, या मूर के लिए;

(iii) प्रचालन बंद करने के लिए, जिसमें स्थौरा संचालन, बंकरिंग या यात्रियों का आवागमन शामिल है;

(iv) गति सीमा, नौवहन मार्ग, ज्वारीय विंडोज, या पायलटेज की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए;

(v) फंसने, टकराने, प्रदूषण या बाधा को रोकने के उपाय करने के लिए।

(ख) टर्मिनलों और ऑपरेटरों को:

(i) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचालन को निलंबित या परिवर्तन करने के लिए;

(ii) बाधा उत्पन्न करने वाले उपकरणों या वस्तुओं को हटाने के लिए;

(iii) आपातकालीन प्रदूषण-नियंत्रण, अग्नि-सुरक्षा, या रिसाव-रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए।

(ग) व्यक्तियों या संगठनों को:

(i) असुरक्षित क्षेत्रों को खाली करने के लिए;

(ii) सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए;

(iii) निरीक्षण के लिए पहुँच, दस्तावेज़ या सहयोग प्रदान करने के लिए।

(2) संरक्षक, किसी भी पत्तन पर पहुँचने वाले या वहाँ मौजूद जलयानों में किसी संक्रामक या संक्रामक रोग के फैलने या उसके फैलने की उचित आशंका होने की बात से परिचित होने के बाद, यथासंभव शीघ्र, सूचित करेगा और समन्वय स्थापित करेगा—

(i) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी से;

(ii) इस प्रयोजन के लिए नामित कोई भी स्थानीय या राज्य लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी से, और

(iii) अन्य एजेंसियों के साथ जैसे आव्रजन, सीमा शुल्क, तटरक्षक बल या पुलिस के साथ आवश्यकतानुसार जिनकी जरूरत पड़ती है।

(3) संरक्षक, नियम 17 में संदर्भित स्तर 2 या स्तर 3 की श्रेणियों के लिए, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य प्रमुख एजेंसियों के साथ एक संयुक्त घटना समन्वय तंत्र स्थापित कर सकता है, जिसमें नियमित स्थिति अद्यतन और संयुक्त योजना बनाना शामिल है।

(4) संरक्षक, व्यक्तियों के निदान, उपचार, एकाकी करने या क्वारंटीन करने संबंधी ऐसे निर्णयों में मदद करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रचालनगत उपाय करेगा जैसा पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया जाए।

(5) संरक्षक, जारी किए गए सभी निर्देशों का एक रजिस्टर बनाएगा, जिसमें तारीख, समय, निदेश की प्रकृति और अनुपालन की स्थिति शामिल होगी, तथा प्राधिकरण को एक समेकित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

19. संचार और प्रकाशन— (1) संरक्षक, निम्नलिखित माध्यम से आवश्यक निदेशों को प्रसारित करेगा:

(क) अत्याधिक आवृत्ति रेडियो; या

(ख) स्थानीय नोटिस; या

(ग) ईमेल/एसएमएस अलर्ट; या

(घ) जलयान यातायात सेवाएं एडवाइजरी

(2) पत्तन प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य निदेश, पत्तन की वैबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

20. अन्य एजेंसियों से सहायता— संरक्षक, इन नियमों के तहत निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यकतानुसार पायलटेज सेवाएँ, हार्बर मास्टर, तट रक्षक, पुलिस, अग्निशमन सेवाएँ, पर्यावरणीय एजेंसियों और कोई अन्य एजेंसी की सहायता का अनुरोध कर सकता हैं।

21. उपायों की अनुपातिकता, पुनर्विलोकन और वापस लेना— (1) संरक्षक सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के तहत किए गए उपाय-

(क) नियम 17 में संदर्भित जोखिम स्तरों के अनुरूप हैं;

(ख) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श से समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है; और

(ग) जैसे ही जोखिम एक ऐसे स्तर तक कम हो जाता है जहां ऐसे उपायों की अब आवश्यकता नहीं है, उन्हें वापस ले लिया जाता है या इनमें ढील दी जाती है।

(2) नियम 17 के तहत वर्गीकृत स्तर 2 या स्तर 3 के लिए, संरक्षक या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी विशिष्ट उपायों को ज़ारी, आशोधित और बंद करने के लिए सात दिनों से अनधिक अंतराल में स्थिति की संयुक्त पुनर्विलोकन करेंगे।

अध्याय IV

जलयान के मालिक द्वारा रोग की रिपोर्टिंग

22. रिपोर्ट का समय.— (1) जहां जलयान के आगमन के पहले संक्रामक या सांसर्गिक रोग का संदिग्ध मामला ज्ञात है, तो मास्टर ऐसे मामले रिपोर्ट करेगा:

(क) आगमन से कम से कम 24 घंटे पहले, या

(ख) यदि, यात्रा की अवधि 24 घंटों से कम हो तो शीघ्रतम संभव समय पर।

(2) यदि, यात्रा के दौरान कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग प्रकट होता हैं तो मास्टर, प्रकट लगने पर तुरंत रिपोर्ट करेगा।

(3) यदि, संक्रामक या सांसर्गिक रोग बर्थिंग के बाद प्रकट होता हैं तो मास्टर, संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी को अविलंब सूचित करेगा।

23. रिपोर्टिंग का स्वरूप— (1) मास्टर, संक्रामक या सांसर्गिक रोग की प्रारंभिक रिपोर्ट निम्नलिखित माध्यम से करेगा:

(क) अति उच्च आवृति रेडियो (पत्तन द्वारा नामित चैनल); या

(ख) पत्तन स्वास्थ्य कार्यालय को ईमेल; या

(ग) प्राधिकरण द्वारा नामित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल; या

(घ) अभिकर्ता के माध्यम से लिखित संचार।

(2) मास्टर, मैरीटाइम डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ प्रस्तुत करेगा, जिसमें शामिल हो -

(क) संक्रामक या सांसर्गिक रोग के लक्षण और प्रकृति;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों की संख्या;

(ग) जलयान पर किए गए एकाकी करने के उपायों का विवरण;

(घ) आगमन और प्रस्थान की तिथि के साथ 30 दिनों के लिए पोर्ट ऑफ कॉल की सूची;

(ङ) जलयान पर कोई मृत्यु; और

(च) शुरु किए गए स्वच्छता उपाय

(3) मास्टर पूरक रिपोर्टिंग उपलब्ध कराएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) अद्यतन चिकित्सा लॉग;

(ख) चालकदल और यात्री सूचियाँ;

(ग) पिछली चिकित्सा जांच का विवरण;

(घ) टीकाकरण प्रमाणपत्र या स्वास्थ्य दस्तावेज, यदि आवश्यक हो; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मानक प्रारूप के अनुसार, जलयान पर किसी अवैध यात्री का विवरण;

(च) आगमन से पूर्व, पिछले 30 दिनों में पीले ज्वर के प्रकोप वाले देशों के किसी पत्तन के संपर्क में आने का विवरण, यदि कोई हो।

24. प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी— मास्टर द्वारा नियम 22 के उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) जलयान का नाम, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या, ध्वज़ और प्रकार;

(ख) पिछला पोर्ट ऑफ कॉल और अगला पोर्ट ऑफ कॉल;

(ग) पाए गए संक्रामक या सांसर्गिक रोग या लक्षणों का विवरण;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (चालक दल/यात्रियों का अलग- अलग);

(ङ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति;

(च) जलयान पर किए गए उपाय (एकाकीकरण, विसंक्रमण, उपचार);

(छ) चिकित्सीय निर्वातन या सहायता के लिए कोई अनुरोध; और

(ज) एकांतवास या विशेष बेर्थिंग अनुदेशों की आवश्यकता।

25. रिपोर्टिंग के बाद मास्टर के कार्य.— रिपोर्टिंग के बाद, मास्टर—

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रोटोकाल के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को अलग करेगा;

(ख) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गए परामर्श के अनुसार, चालकदल/यात्रियों की प्रतिबंधित आवाजाही निर्बाधित करेगा;

(ग) जब तक अनुमति न दी जाए, तट छोड़ने पर प्रतिबंध लगाएगा;

(घ) संरक्षक और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करेगा;

(ङ) जलयान पर स्वच्छता और साफ- सफाई के उपाय बनाए रखेगा;

(च) जलयान को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करेगा।

26. सर्वेक्षक और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देश.— नियम 22 के उप-नियम (1) के तहत मास्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संरक्षक, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के निदेशों पर विचार करने के बाद, जलयान को निर्देशित कर सकता हैं:

(क) एकांतवास एंकोरेज पर लंगर डालने के लिए;

(ख) एकाकी/ एकांतवास बर्थ पर पर बर्थ करना;

(ग) स्थौरा या यात्री प्रचालन को रोकने के लिए;

(घ) सफाई, कीटाणुशोधन, धूमन करने के लिए;

(ङ) चिकित्सा निरीक्षण या जांच कराने के लिए;

(च) उपचार के लिए प्रभावित व्यक्ति को जलयान से उतारने के लिए;

(छ) किसी भी जन- स्वास्थ्य परामर्श का अनुपालन करने के लिए

27. रिपोर्ट करने में विफलता.— संक्रामक या सांसर्गिक रोग को रिपोर्ट करने में विफलता, रिपोर्ट करने में विलंब, या सूचना का लोप होने पर प्राधिकरण—

(क) पत्तन निकासी से इंकार कर सता है; या

(ख) जलयान का डिटेंशन कर सकता है;

(ग) निरोधन, एकांतवास या आपातकालीन उपायों के लिए लागत की वसूली कर सकता है।

28. प्रतिवेदनों की गोपनीयता, प्रतिधारण और प्रकटीकरण.— (1) संरक्षक और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से संबंधित रिर्पोटों का एक गोपनीय रजिस्टर बनाए रखेंगे।

(2) उप-नियम (i) में निर्दिष्ट अभिलेखों को रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि की तारीख से कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

(3) इस नियम के तहत रखे गए रजिस्टर या अभिलेखों में अंतर्विष्ट जानकारी का प्रकटीकरण केवल ऐसे प्राधिकरणों या एजेंसियों को, उनके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सीमा तक, किया जा सकेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत हैं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग और अप्रवासन प्राधिकारी शामिल हैं।

[फा.सं.पीडी-24015/1/2025-पीडी-I-भाग(1)/ई-378339]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2026

G.S.R. 762(E).—Whereas the draft of the Infected Zone Management, Reporting and Control of Communicable Disease at Ports Rules, 2026 were published by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, *vide* notification number G.S.R.304(E), dated 22nd April, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on 22nd April, 2026;

AND whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (g) of sub-section (2) of section 76 and sub-section (1) and clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 78 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Infected Zone (Management, Reporting and Control of Infectious or Contagious Disease at Ports) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — The provisions of—

(a) rules 4 to 15 shall apply to all major ports and to such part of the port limits of a major port declared as an infected zone under clause (a) of sub-section (4) of section 24 of the Act;

(b) rules 16 to 28 shall apply to every port to which the Act extends and to every vessel arriving at, departing from, or being within such port.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);

(b) "Authority" means the Authority as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(c) "infectious or contagious disease" means a disease capable of being transmitted directly from one human to another without an intervening vector or vehicle;

(d) "infected zone" means any territory or space or geographical location experiencing ongoing public health emergency of international concern or pandemic emergency or public health risk within the limits of any port or its adjoining areas that is declared infected under clause (a) of sub-section (4) of section 24 of the Act;

(e) "port health officer", means the health officer appointed under sub-section (1) of section 24 of the Act;

(f) "suspected case" means persons, baggage, cargo, containers, ship or conveyances, goods, postal parcels considered by port health officer as having been exposed, or possibly exposed, to a public health risk and that could be a possible source of spread of disease.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

CHAPTER II

INFECTED ZONE MANAGEMENT

4. Measures to be taken at infected zone. — (1) The measures referred to in clause (b) of sub-section (4) of section 24 of the Act shall be taken having regard to the following factors, namely: —

(a) the need to prevent, control or contain the spread of infectious or contagious diseases from, within, or through an infected zone;

(b) the need to maintain a safe environment for seafarers, workers, passengers and the local community, while minimising unnecessary interference with port operations, trade and travel;

(c) the need to ensure that such measures—

(i) are based on the assessed public health risk and are proportionate to such risk;
(ii) remain in force only for such period as is necessary and subject to periodic review;
(iii) are consistent with India's obligations under applicable international instruments relating to public health and maritime transport; and

(iv) are implemented with due regard to dignity, human rights and fundamental freedoms of individuals.

5. Preparedness and infected zone management plan. — (1) Every major port shall prepare and maintain a port infected zone management plan for its implementation in the event of a declaration of an infected zone under the Act.

(2) The port infected zone management plan shall, *inter alia*, provide for—

(a) organisational structure and designation of responsible officers;
(b) procedures for rapid delineation and marking of infected zones;
(c) protocols for health screening, isolation, quarantine and medical referral of persons;
(d) environmental sanitation, disinfection and vector-control arrangements;
(e) continuity of essential port operations, including safe handling of cargo and critical supplies;
(f) communication, information-sharing and escalation mechanisms with the port health organisation, district or State health authorities and other agencies; and
(g) training, drills and periodic review.

(3) The port infected zone management plan shall be prepared in consultation with the port health organisation and shall be reviewed once in two years or earlier, as may be directed by the Central Government.

6. Declaration and publication of infected zone. — (1) The declaration of any berth, terminal, anchorage, warehouse, or other area of the port as an infected zone under clause (a) of sub-section (4) of section 24 of the Act shall be made on the basis of the advice of the Authority.

(2) Every declaration of an infected zone shall—

(a) specify the geographical boundaries of the zone;
(b) identify the nature of the infection or the hazard;
(c) state the duration of applicability, subject to review; and
(d) be published on the website of the port.

(3) The Authority shall communicate the declaration referred to in sub-rule (2) to the mariners, shipping lines, terminal operators, customs, immigration and other agencies.

(4) In case the infected zone includes any portion of a national waterway overlapping with port limits, the Inland Waterways Authority of India shall be informed for navigation management and issuing advisories.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "Inland Waterways Authority of India" means the Inland Waterways Authority of India constituted under section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).

(5) The Authority shall review such declaration every seven days or at such intervals as the port health officer may determine.

7. Restriction on entry, movement and operations. — (1) No vessel, crew, passenger, port worker, or visitor shall enter or exit an infected zone except with the written permission of the port health officer.

(2) The cargo operations, berthing, pilotage, bunkering, provisioning or any other port activity in the infected zone shall be regulated, restricted, or suspended as may be determined by the port health officer.

(3) The Authority may direct—

(a) movement of vessels to designated quarantine berths;
(b) segregation of infected cargo or contaminated material;
(c) isolation of affected workers or crew; and
(d) diversion of port traffic to alternate terminals.

(4) The provisions of this rule shall be applicable to inland vessels and be limited to such vessels which are port-bound or operating within the notified port limits.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, the expression "inland vessel" means the inland vessel as defined in clause (q) of section 3 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021).

8. Health surveillance and screening. — (1) Continuous surveillance shall be maintained within the infected zone by the port health officer in coordination with the conservator and the Authority to contain the spread of infectious or contagious disease.
(2) Every vessel arriving at or operating within the infected zone shall furnish—

(a) a maritime declaration of health;
(b) crew or passenger health records; and
(c) any additional health information required under the International Health Regulations.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, the expression "International Health Regulations" means the International Health Regulations, 2005 of the World Health Organization.

(3) The port health officer may conduct temperature screening, medical examination, testing, and risk assessment of crew, passengers and port workers.

(4) Any person suspected of infection shall be placed under isolation, quarantine or medical observation in accordance with the protocols issued by the Central Government from time to time.

9. Sanitation and disinfection. — (1) The Authority may require the master of vessel or terminal operator to take steps for—
(a) the disinfection, fumigation, or vector control of the vessel, cargo, containers, equipment, or premises;
(b) the safe disposal of contaminated waste; and
(c) the water sanitation, ballast water checks, and air-quality control.

(2) The disinfection measures shall conform to the guidelines issued by the Ministry of Health and Family Welfare, the World Health Organization, the International Maritime Organization, or any competent authority.

10. Operational controls on cargo and containers. — (1) The cargo originating from, transiting through, or unloaded in, the infected zone, shall be subject to such additional checks, treatment or certification, as the port health officer may direct.
(2) No contaminated cargo or material shall be released from the port without a written clearance.

(3) The container-handling equipment used within the infected zone shall undergo mandatory sanitisation before redeployment.

11. Worker's safety and protective measures. — (1) The Authority shall, in consultation with the port health officer and employers operating within the infected zone, ensure that—
(a) the workers who are required to enter or remain in the infected zone are provided with appropriate personal protective equipment and training for its correct use;

(b) the work schedules and deployment are so arranged as to reduce exposure, including where feasible, by rotation of duties and minimisation of overtime in high-risk areas; and

(c) any worker who is unwell, or who is identified as a suspected or confirmed case or close contact, is promptly relieved from duty and referred for medical assessment.

(2) The employers shall not require any worker to enter or remain in the infected zone in contravention of any direction issued by the port health officer or the Authority.

(3) The terminal operators shall maintain the logs of deployment of workers, issuance of personal protective equipment and exposure records.

(4) No worker shall be deployed by the employer in an infected zone without adequate training in infection-control procedures.

12. Communication, coordination, and reporting. — (1) The Authority shall establish a unified incident command structure to facilitate coordination and communication among the customs, immigration, coast guard, police, shipping agents, the health department and such other agencies as may be necessary for the effective management of public health incidents.

(2) The masters of vessels shall immediately report to the Authority any signs of illness, contamination, or unusual mortality on board.

(3) The Authority shall provide daily updates on the status of the infected zone to stakeholders, including shipping lines and port users.

(4) The port health officer shall submit a report to the Directorate General of Health Services on the surveillance data shared with the Authority and the integrated disease surveillance programme.

13. Compliance of directions issued. — Every master, vessel agent, terminal operator, and port user shall comply with the directions issued under these rules and failure to comply with such directions may attract suspension of operations, denial of berthing priority, or any other action as the Authority deems necessary.

14. Declaration and publication of infection free zone. — (1) The Authority shall, on the advice of the port health officer, declare the infected zone as infection free zone after confirming that —

(a) no active threat remains;

(b) all vessels, equipment, and premises have been sanitised; and

(c) the surveillance indicators conform to national and international norms.

(2) The Authority shall communicate the declaration referred to in sub-rule (1) to the mariners, shipping lines, terminal operators, customs, immigration and other agencies.

15. Power to issue contingency protocols. —The Authority may issue contingency protocols consistent with these rules to ensure effective management of infected zones.

CHAPTER III

ACTION TO BE TAKEN BY THE CONSERVATOR AND THE DIRECTIONS THERETO

16. Report of infectious or contagious disease. – (1) Whenever any infectious or contagious disease has broken out or is reasonably suspected to break out on a vessel arriving at or being in any port, the information

of such infectious or contagious disease shall be brought to the knowledge of the Government or the conservator by—

(a) the master containing the particulars of such disease; or
(b) the port health officer; or
(c) any other reliable source.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "reasonably suspected to break out" includes situations where—

(i) one or more suspected cases are present on board; or
(ii) there has been known exposure to a confirmed case or outbreak at a previous port or during the voyage.

(2) The duty to report such information under sub-rule (1) shall arise whenever—

(a) a case or suspected case of any infectious or contagious disease is identified on board;
(b) there has been a death on board from unknown causes or suspected infectious disease during the voyage or while in port; or
(c) there is an unusual aggregation of cases of illness on board which may indicate an outbreak.

(3) The reporting under sub-rule (1) shall be mandatory regardless of whether the vessel is—

(a) at anchorage;
(b) underway;
(c) berthed; or
(d) engaged in cargo, bunkering, or passenger operations.

(4) The port health officer shall give a report or advice on the information received under sub-rule (1) to the conservator.

(5) Where the Government receives the information as referred to in sub-rule (1), such information shall be communicated to the conservator to take action in accordance with these rules.

17. Levels of response. —The conservator may, for operational purposes, categorise the situations into one of the following categories, namely:–

(a) isolated suspected cases with low risk of onward transmission as level 1 category or enhanced vigilance category;
(b) one or more confirmed cases, or cluster of suspected cases, on a single vessel with potential for spread as level 2 category or containment category;
(c) multiple cases or high transmissibility disease with potential spread to other vessels, port workers or the community, including in the context of a declared public health emergency of international concern as level 3 category or escalated response category.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression "public health emergency of international concern" means an extraordinary event which is determined—

(i) to constitute a public health risk to the country and other countries through international spread of disease; and

(ii) to potentially require a coordinated international response.

18. Powers and duties of conservator. — (1) The conservator may issue directions, written or oral (with subsequent written confirmation), to any master, owner, agent, or person in charge of a vessel, structure, or premises within port limits, including directions—

(a) to vessels—

(i) to shift anchorage or berth;
(ii) to heave up anchor, move, tow, or moor at designated locations;
(iii) to cease operations, including cargo handling, bunkering, or passenger movement;
(iv) to comply with speed limits, navigational routes, tidal windows, or pilotage requirements; and
(v) to take measures to prevent grounding, collision, pollution, or obstruction.

(b) to terminals and operators—

(i) to suspend or modify operations in affected areas;
(ii) to remove equipment or objects creating obstructions; and
(iii) to implement emergency pollution-control, fire-safety, or spill-containment measures.

(c) to individuals or organisations—

(i) to vacate unsafe zones;
(ii) to comply with safety protocols; and
(iii) to provide access, documents, or cooperation for inspections.

(2) The conservator shall, as soon as practicable, after becoming aware that an infectious or contagious disease has broken out or is reasonably suspected to break out in vessels arriving at, or being in, any port, inform and coordinate with—

(i) the port health officer;
(ii) any local or State public health authority designated for the purpose; and
(iii) such other agencies as may be required, including immigration, customs, coast guard or police.

(3) The conservator may establish a joint incident coordination mechanism with the port health officer and other key agencies for level 2 or level 3 categories referred to in rule 17, including regular situation updates and joint planning.

(4) The conservator shall take operational measures to support and give effect to such decisions on diagnosis, treatment, isolation or quarantine of persons as may be given by the port health officer.

(5) The conservator shall maintain a register of all directions issued, including date, time, nature of direction, and compliance status and submit a consolidated monthly report thereof, to the Authority.

19. Communication and publication. — (1) The conservator may circulate urgent directions through—

(a) very high frequency radio; or
(b) local notices; or
(c) email or short message service alerts; or
(d) vessel Traffic services advisories.

(2) The directions affecting port operations shall be published on the website of the port.

20. Assistance from other agencies. — The conservator may request the assistance of pilotage services, harbour master, coast guard, police, fire services, environmental agencies, and any other agencies as may be necessary for compliance with the directions under these rules.

21. Proportionality, review and withdrawal of measures. — (1) The conservator shall ensure that measures taken under these rules are—

(a) proportionate to the risk levels referred to in rule 17;
(b) periodically reviewed in consultation with the port health officer; and
(c) withdrawn or relaxed as soon as the risk situation is reduced to a level where such measures are no longer necessary.

(2) For level 2 or level 3 situations categorised under rule 17, the conservator and port health officer shall jointly review the situation at intervals not exceeding seven days for the continuance, modification or discontinuance of specific measures.

CHAPTER IV

REPORTING OF DISEASE BY MASTER OF VESSEL

22. Timing of report. — (1) Where a suspected case of infectious or contagious disease is known before arrival of the vessel, the master shall report such case—

(a) at least twenty-four hours before arrival; or
(b) at the earliest possible time, if voyage duration is less than twenty-four hours.

(2) If an infectious or contagious disease is detected during voyage, the master shall report such detection immediately.

(3) If the infectious or contagious disease occurs after berthing, the master shall report the conservator and port health officer without delay.

23. Manner of reporting. — (1) The master shall primarily report the infectious or contagious disease through—

(a) very high frequency radio (channel designated by the port); or
(b) e-mail to the port health office; or
(c) electronic portal designated by the Authority; or
(d) written communication via the agent.

(2) The master shall submit a maritime declaration of health with the particulars including —

(a) symptoms and nature of infectious or contagious disease;
(b) number of affected persons;
(c) details of isolation measures taken on board;
(d) port of call list for thirty days with arrival and departure dates;
(e) any deaths on board; and
(f) sanitary measures undertaken.

(3) The master shall provide supplementary report containing—

(a) updated medical logs;
(b) crew and passenger lists;

(c) details of last medical inspection;
(d) vaccination certificates or health documents if required; and
(e) details of any stowaways on board as per International Maritime Organization standard format;
(f) details of ports transited through the yellow fever endemic countries in the last thirty days, before arrival, if any.

24. Information to be provided. — The report submitted under sub-rule (1) of rule 22 by the master shall include the following details, namely: —

(a) vessel name, International Maritime Organization number, flag, and type;
(b) last port of call and next port of call;
(c) description of the infectious or contagious disease or symptoms detected;
(d) number of affected persons (crew and passengers separately);
(e) health condition of each affected person;
(f) measures undertaken on board (isolation, disinfection, treatment);
(g) any request for medical evacuation or assistance; and
(h) the requirement for quarantine or special berthing instructions.

25. Duties of master after reporting. — After reporting, the master shall—

(a) isolate the affected person as per World Health Organization protocol;
(b) restrict movement of crew and passengers as advised by the port health officer;
(c) prohibit shore leave unless permitted;
(d) comply with directions of the conservator and the port health officer;
(e) maintain sanitation and hygiene measures on board;
(f) make the vessel available for inspection by the port health officers.

26. Directions by conservator and port health officer. — Upon receipt of the master's report under sub-rule (1) of rule 22, the conservator, after taking into consideration the directions of the port health officer, may direct the vessel to —

(a) anchor at quarantine anchorage;
(b) berth at an isolated or quarantine berth;
(c) cease cargo or passenger operations;
(d) undertake cleaning, disinfection, fumigation;
(e) undergo medical inspection or testing;
(f) disembark affected individuals for treatment;
(g) comply with any public-health advisory.

27. Failure to report. — The Authority, on failure to report infectious or contagious disease, delay in reporting, or concealment of information, may—
(a) refuse port clearance; or
(c) detain the vessel; or
(d) recover the costs for containment, quarantine, or emergency measures.

28. Confidentiality, retention and disclosure of reports. —(1) The conservator and port health officer shall maintain a confidential register of reports relating to infectious or contagious disease.

(2) The records referred to in sub-rule (i) shall be retained for at least seven years from the date of their entry in the register.

(3) The information contained in the register or records maintained under this rule may be disclosed only to such authorities or agencies as are authorised under any law for the time being in force, including the World Health Organization, State health department, and Immigration authorities to the extent necessary for discharge of their functions.

[F.No. PD-24015/1/2025-PD-I-Part(1)/E-378339]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.01 16:19:19 +05'30'